सी० बी० II संख्या 280

लोक सभा

राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(19 नवम्बर, 1973 को प्रस्तुत)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
नवम्बर, 1973/कार्तिक, 1895 (शक)
मूल्य: रु० 1.35

राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972
सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
एक	परिशिष्ट पांच	—	पृष्ठ 12
पांच	7	नीति राज सिंह चोधरी	नातिराज सिंह चौधरी
छः	34	और इस समर्थकों	और दस समर्थकों
सात	7	उपयुक्त	उपर्युक्त
आठ	15	गिलोकी सिंह	त्रिलोकी सिंह
नौ	6	अभर	असर
नौ	34	दिगविजय नारायण सिंह	दिग्विजय नारायण सिंह
ग्यारह	29	सराहीन	सारहीन
बारह	4	ब्यति	ब्यक्ति
2	14	3	4
19	क्र0 सं0 18	श्री एम0 जी0 मगरू उइके	श्री एम0 जी0 मंगरू उइके
20	15	समिति का ध्यान	उनका ध्यान
21	क्र0 सं0 20	श्री मंगरू उइके	श्री एम0 जी0 मंगरू उइके
42	4	उपस्थिति	उपस्थित
53	2	श्री हरिगोल परांजपे	श्री हरिगोपाल परांजपे

विषय-सूची

	पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	(तीन)
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(पांच)
विमति टिप्पण	(आठ)
विधेयक--जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है	1
परिशिष्ट--एक : विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव	8
परिशिष्ट--दो : राज्य सभा में प्रस्ताव	9
परिशिष्ट--तीन : उन संस्थाओं, संगठनों आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए	10
परिशिष्ट--चार : उन संस्थाओं, संगठनों आदि की सूची, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	11
परिशिष्ट--पांच : संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री एस० ए० कादर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री एच० आर० गोखले
7. श्री जगन्नाथराव जोशी
8. श्री जे० जी० कदम
9. श्री रोबिन ककोटी
10. श्री ए० केवीचुसा
11. श्री पीलू मोदी
12. श्री समर मुखर्जी
13. श्री प्रताप सिंह नेगी
14. श्री तारकेश्वर पाण्डे
15. श्री रसिक लाल पारिख
16. श्री झारखण्डे राय
17. श्री राजदेव सिंह
18. श्री जे० रामेश्वर राव
19. श्री एम० एस० संजीवीराव
20. श्री एस० सी० सामन्त
21. श्री सी० के० जाफर शरीफ
22. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
23. श्री नवल किशोर सिन्हा
24. श्री सुन्दर लाल
25. श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
26. श्री मंगरू उइके
27. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्
28. श्री वीरभद्र सिंह
29. श्री जी० विश्वनाथन्
30. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य-सभा

31. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
32. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
33. श्री के० ए० कृष्णास्वामी
34. श्री लाल बुप्राइया
35. श्री गणेश लाल माली
36. श्री बाल चन्द्र मेनन
37. श्री लोकनाथ मिश्र
38. श्री कोटा पुन्नैया
39. श्री ईमोनसिंह एम० सांगमा
40. श्री टी० एन० सिंह
41. श्री त्रिलोकी सिंह
42. श्री गुणानन्द ठाकुर
43. श्री गुरचरन सिंह टोहड़ा
44. श्री एच० एम० त्रिवेदी
45. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम्––सचिव
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति––अतिरिक्त विधायी सलाहकार
3. श्री एच० सी० वरमानी––अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक––संयुक्त सचिव

श्री एच० जी० परांजपे––उप-सचिव

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का, जिसे राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का विधेयक* सौंपा गया था, सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है।

2. यह विधेयक 26 अगस्त, 1972 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव 30 अगस्त, 1972 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नीति राज सिंह चौधरी द्वारा लोक सभा में पेश किया गया था और स्वीकृत हुआ था (परिशिष्ट एक)।

3. राज्य सभा ने 4 सितम्बर, 1972 को उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की (परिशिष्ट दो)।

4. राज्य-सभा से प्राप्त संदेश लोक सभा के 4 सितम्बर, 1972 के समाचार—भाग दो में प्रकाशित किया गया।

5. समिति की कुल 20 बैठकें हुईं।

6. समिति ने अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिये 13 सितम्बर, 1972 को पहली बैठक की। समिति ने यह निर्णय किया कि विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन, संस्थाएं, सार्वजनिक निकाय, व्यक्ति, आदि, जो विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखते हों, और उसके संबंध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहें, 18 अक्तूबर, 1972 तक ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक के संबंध में निम्नलिखित से ज्ञापन मांगें जायें, तथा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के बारे में उनकी इच्छा पूछी जाये :—

(एक) भारत के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता।

(दो) संसद में राजनीतिक दलों तथा/अथवा ग्रुपों के नेता।

(तीन) निर्दलीय संसदीय ग्रुप का नेता।

(चार) संसद के समस्त निर्दलीय सदस्य।

(पांच) समस्त राज्य विधान मण्डलों में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा/ अथवा ग्रुपों के नेता।

(छः) वकील काउंसिलें, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, वकील एसोशिएशन, आदि।

समिति ने यह भी निर्णय किया कि विधेयक के उपबन्धों के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाये :—

(एक) भारत के समस्त भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति।

(दो) भारत के महान्यायवादी।

(तीन) मुख्य निर्वाचन आयुक्त।

(चार) भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त।

(पांच) श्री जयप्रकाश नारायण।

(छः) श्री हृदयनाथ कुंजरू।

(सात) श्री चिन्तामणि देशमुख

7. समिति को विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि से विधेयक के संबंध में 9 ज्ञापन प्राप्त हुए (देखिये परिशिष्ट-तीन में दी गई सूची)।

8. 20 जून, 1973 को समिति ने अपनी ग्यारहवीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट, श्री एन० ए० पालकीवाला तथा महाराष्ट्र सरकार, बम्बई, के महाधिवक्ता, श्री एच० एम० सीरवाई का साक्ष्य सुनने के लिए 6 तथा 7 जुलाई, 1973 को बम्बई के काउंसिल हाल में बैठकें की जायें।

*दिनांक 26 अगस्त, 1972 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

9. समिति ने 17, 18, 19 तथा 20 जनवरी, 19 तथा 20 जून, तथा 27 जुलाई, 1973 को दिल्ली में हुई अपनी बैठकों में तथा 6 तथा 7 जुलाई 1973 को बम्बई, में हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लिया। समिति के समक्ष जो संगठन, संस्थाएं, व्यक्ति आदि उपस्थित हुए उनकी सूची परिशिष्ठ-चार में दी गई है।

10. 27 जुलाई, 1973 को हुई अपनी पन्द्रहवीं बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की प्रतियां दोनों सदनों के सभा-पटलों पर रखी जाएं और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद, संसद सदस्यों के अवलोकन के लिए संसद ग्रन्थागार में रखी जाएं।

11. समिति का प्रतिवेदन 17 नवम्बर, 1972 तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय तीन बार बढ़ाया गया, पहली बार 13 नवम्बर, 1972 को 16 मई, 1973 तक, दूसरी बार 25 अप्रैल, 1973 को 4 अगस्त, 1973 तक और तीसरी बार 26 जुलाई, 1973 को 21 दिसम्बर, 1973 तक।

12. 11 और 12 सितम्बर, 1973 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने समिति को प्रस्तुत ज्ञापनों में और समिति के समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

13. 19 और 20 अक्टूबर, 1973 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने विधेयक पर खंड-वार विचार किया।

14. समिति ने 9 नवम्बर, 1973 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

16. **धारा 3–(1), खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) की धारा (क)**–विधेयक के पुरःस्थापित रूप में यह उपबन्ध किया गया है कि निर्वाचन की सारी समय-सूची में कमी की जाये। समिति का विचार है कि नामनिर्देशन पत्र फाइल करने की समय सीमा में किसी प्रकार की कमी करने से, विशेषतः नामनिर्देशनों के प्रस्थापकों और समर्थकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, भारी असुविधा होगी और व्यवहारिक कठिनाइयां भी होंगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि नामनिर्देशन पत्र फाइल करने की समय सीमा वही रहने दी जाये जो विद्यमान विधि में हैं।

तदनुसार धारा (क), का संशोधन कर दिया गया है।

(2) **खण्ड 4 का उप-खण्ड (1क)-उप-खण्ड (1क)** का समावेश इस मामले में संदेह का निराकरण करने के लिए किया गया था कि यदि नामनिर्देशन करने, या संवीक्षा करने या अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अधिसूचना द्वारा नियत तारीख लोक अवकाश का दिन हो तो उसका ठीक अगला दिन, जो लोक अवकाश दिन नहीं है, उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियत, किया हुआ समझा जायेगा। समिति का विचार है कि स्वयं अधिसूचना में ही उपर्युक्त शब्दों को जोड़कर यह बात पूरी हो सकती है।

तदनुसार उप-खंड (1क) का लोप कर दिया गया है।

17. **धारा 4—(1) प्रस्तावित खण्ड 5 ख के उप–खण्ड (1) की धारा (क):** राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निरर्थक नाम निर्देशन पत्रों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से विधेयक के पुरःस्थापित रूप में यह उपबन्ध किया गया था कि राष्ट्रपति पद के भावी अभ्यर्थी को कम से कम चालीस निर्वाचकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए जिनमें कम से कम बारह निर्वाचक संसद सदस्य हों और चौबीस निर्वाचक राज्य विधान सभाओं के सदस्य हो। समिति का विचार है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन की अभ्यर्थिता के लिए प्रस्थापकों के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों का और समर्थकों के रूप में भी कम से कम 20 निर्वाचकों का समर्थन प्राप्त करना बहुत अधिक है और इसलिए इसे कम करके बीस कर दिया जाय–दस प्रस्थापकों के रूप में और दस समर्थकों के रूप में और इसके अतिरिक्त यह शर्त हटा दी जाय कि उनमें से कम से कम कितने व्यक्ति संसद सदस्य हों या राज्य विधान सभाओं के सदस्य हों।

तदनुसार प्रस्तावित खण्ड 5 ख के उप-खंड (1) की धारा (क) में संशोधन कर दिया गया है।

(2) **प्रस्तावित खण्ड 5 ख के उप-खण्ड (3) का परन्तुक**–उप-खंड (1) में यह उपबन्ध किया गया है कि रिटर्निंग आफिसर को नाम निर्देशन पत्र किस समय के बीच परिदत्त किया जाय। उप खंड (3) में रिटर्निंग आफिसर को यह शक्ति भी प्रदान की गयी है कि वह कोई ऐसा नामनिर्देशन पत्र स्वीकार नहीं करे जो निर्दिष्ट समय के बीच प्रस्तुत न किया गया हो।

इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति महसूस करती है कि इस उप-धारा में परन्तुक के रूप में एक और उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार उप-धारा (3) का परन्तुक निकाल दिया गया है।

(3) प्रस्तावित धारा 5 ख की उपधारा (5)--

प्रस्तावित धारा 5 ख की उप धारा (5) में यह उपबन्ध किया गया है कि कोई निर्वाचक किसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। समिति महसूस करती है कि उन मामलों में जिनमें किसी निर्वाचन ने उसी निर्वाचन में एक से अधिक अभ्यार्थी के लिये प्रस्थापक अथवा समर्थक के रूप में कार्य किया है, सामान्य प्रतिबंध लगाने के स्थान पर जैसा कि विधेयक में उपबन्ध किया गया है और जिससे नई धारा 5 ड० (3) (ड०) के अन्तर्गत किसी निर्दोष अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत हो सकता है, यह उपबन्ध करना ही न्यायोचित और उपयुक्त होगा कि प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र से भिन्न किसी नाम निर्देशन पत्र पर ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर केवल निष्प्रभावी माना जायेगा।

प्रस्तावित धारा 5 ख की उपधारा (5) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(V) प्रस्तावित धारा 5ङ की उप-धारा (3) का खण्ड (ङ०)--प्रस्तावित धारा 5 ङ० की उपधारा (3) में यह उपबंध किया गया है कि रिटर्निंग आफिसर इस आधार पर किसी नामनिर्देशन पत्र को नामंजूर कर सकेगा कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी ने उसी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले प्राप्त एक अन्य नामनिर्देशन पत्र पर, प्रस्थापक या समर्थक के रूप में, हस्ताक्षर किये हैं। समिति महसूस करती है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिये गये समिति के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए यह उपबन्ध आवश्यक नहीं है।

तदनुसार प्रस्तावित धारा 5 ङ की उपधारा (3) के खंड (ङ) को निकाल दिया गया है।

अन्य संशोधन परिणामिक है।

18. खण्ड 6--समिति महसूस करती है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के लिए समर्थन करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या चालीस से कम करके बीस करने के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में एक निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करने के लिए भी निर्वाचकों की संख्या इतनी ही होनी चाहिए।

खंड 6 में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

19. खण्ड 7--इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन को चुनौती देने के लिये रिश्वत या असम्यक प्रसर के अपराधों से संबंधित आधारों को हटाने का उपबन्ध करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर नई धारा प्रस्थापित की गई है।

समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काफी सोच विचार के पश्चात् समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि रिश्वत तथा असम्यक असर के अपराधों पर आधारित बातों को धारा 18 से पूर्णतः लोप करने के स्थान पर, जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है, उस धारा में संशोधन करके यह उपबन्ध किया जाये कि इन अपराधों के आधार पर निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को तभी शून्य घोषित किया जा सकता है यदि वे निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किये गये हों अथवा निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति न कि (मौनानुकूलता) से किसी व्यक्ति द्वारा किये गये हों और यह कि धारा 18 में किया गया यह उपबन्ध हटा दिया जाये जिसके अनुसार उच्चतम न्यायलय किसी राष्ट्रपति निर्वाचन को किसी अन्य व्यक्ति, जिसका निर्वाचित अभ्यर्थी से कोई सम्बन्ध न हों, द्वारा भी किये गये रिश्वत तथा असम्यक असर के अपराधों के आधार पर भी शून्य घोषित कर सकता है।

इस खंड में तदनुसार संशोधन किया गया है।

20. खण्ड 1 तथा अधिनियम सूत्र--इनमें किये गये संशोधन शाब्दिक हैं।

21. संयुक्त समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

नई दिल्ली;

19 नवम्बर, 1973

28 कार्तिक, 1895 (शक)

ए० एस० कादर,
सभापति,
संयुक्त समिति।

विमति टिप्पण

एक

(क) खण्ड 5ख (1) (क) में से "कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा समर्थकों के रूप में" शब्दों को हटा दिया जाए और उनके स्थान पर "एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में और एक निर्वाचक द्वारा समर्थक के रूप में" शब्दों को प्रस्थापित किया जाए ।

(ख) खण्ड 5ख (1) (ख) में से "कम से कम 5 निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 5 निर्वाचकों द्वारा समर्थकों के रूप में" शब्दों को हटा दिया जाए और उनके स्थान पर "एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में और एक निर्वाचक द्वारा समर्थक के रूप में" शब्दों को प्रस्थापित किया जाए ।

(ग) विधेयक के पृष्ठ 5 पर खण्ड 5ङ (1) में पंक्ति 31 में 'प्रस्थापक' और 'समर्थक' से पहले एक-एक शब्दों को हटा दिया जाए ।

मेरे उपर्युक्त संशोधनों का यह कारण है कि नामनिर्देशन के समय दोहरी जांच होनी चाहिए । संयुक्त प्रवर समिति ने पहले ही 2,500 रुपये की जमानत जमा का प्रस्ताव रखा है । विश्व भर में निर्वाचन का मामला हो या किसी संकल्प का, प्रस्ताव की सूचना देने के लिए केवल एक ही प्रस्थापक आवश्यक समझा जाता है । मेरे विचार में आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन संबंधी याचिका दायर करने के बारे में कठोरता होनी चाहिए न कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए ।

नई दिल्ली;

14 नवम्बर, 1973

गिलोकी सिंह

दो

हमें खेद है कि हम संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के बहुमत द्वारा राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम में प्रस्तवित संशोधन से सहमत नहीं हैं ? इस कारण यह विमति टिप्पण दिया जाता है ।

हमें प्रमुख वकीलों, न्यायविदों, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों और उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों का साक्ष्य सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था । अत्याधिक लम्बे साक्ष्य को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही किसी भी पाठक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि अधिकाश संशोधन अनावश्यक हैं । कुल मिलाकर मूल अधिनियम ही पर्याप्त रूप से ठीक था और इसमें इतने अधिक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । जब मूल अधिनियम तैयार और पारित किया गया था तो उस समय सदस्यों में यह आम धारणा थी कि इस प्रतिष्ठापूर्ण निर्वाचन को विधानमण्डलों के आम निर्वाचनों से अलग समझा जाना चाहिए । इसी कारण से मूल अधिनियम में जिसमें संशोधन किया जा रहा है, इस सम्मानित पद के अभ्यर्थियों द्वारा जमानत जमा का उपबन्ध ही नहीं किया गया था जिससे तत्कालीन सभा की इस इच्छा का पता चलता है कि निर्वाचन को सामान्य बात न समझा जाए । इसने भारत के निर्धन से भी निर्धन नागरिक के इस अधिकार को स्वीकार किया कि यद्यपि उसे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न प्राप्त हो तथापि अभ्यर्थी बनने के लिए उस व्यक्ति के पास असाधारण योग्यता हो सकती है । ऐसे नागरिक के सामने, यद्यपि वह निर्धन अथवा स्वतंत्र हो, इस प्रकार की कठिनाइयां और रूकावटें नहीं आनी चाहिए थी जो कि इन प्रस्तावित प्रतिबंधों से आयेंगी । यह सत्य है कि विगत समय में अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ी संख्या में नामांकन-पत्र दाखिल किए और उनमें से कुछेक को एक भी मत नहीं मिला । परन्तु यह भी सत्य है कि विगत तीन निर्वाचनों में अभ्यर्थी सामान्यतः गम्भीर थे ।

इन निर्वाचनों के पश्चात दी गई निर्वाचन याचिकाओं में बहुत से महत्वपूर्ण मामले अन्तर्निहित थे, यह एक अच्छी बात है कि अब उन पर हमारे पास आदेश उपलब्ध हैं ।

संशोधनकारी विधेयक में सबसे आश्चर्यजनक संशोधन, जैसा कि संसद की दोनों सभाओं में पुरःस्थापित किया गया है यह है कि अधिनियम की धारा 18 को, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन के बाबत घोषणा शून्य है तथा जिसमें रिश्वत या असम्यक् असर का अपराध तात्विक रूप से प्रभावित हो सकता है । चाहे वह अपराध निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी की मौनानुकूलता से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, हटाया जाये । अब संयुक्त/प्रवर समिति में हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ दल मामूली संशोधन करने के लिये सहमत हो गया है । इस संशोधन के अनुसार

रिश्वत और अनुचित साधनों का प्रयोग केवल तभी एक अपराध है जबकि सम्बन्धित अभ्यर्थी ने उसके सम्बन्ध में अपनी सहमति दी हो, न कि इस प्रकार का अपराध करने की मौनानुकूलता देने पर । यह खेद की बात है कि मूल धारा 18 में दिए गए "मौनानुकूलता" शब्द के स्थान पर "निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति" शब्दों का प्रयोग किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक अभ्यर्थी ने औपचारिक रूप से अपनी सहमति नहीं दी है तथा उस पर उसकी मौनानुकूलता है तो भी वह विधिवत निर्वाचित माना जायेगा । मेरे विचार मे 'मौनानुकूलता' उतना ही बुरा है जितना कि इस प्रकार के निर्वाचनों में रिश्वत या असम्यक असर की सहमति देना । इसका मतलब उन कतिपय नैतिक मूल्यों और मानकों से हटना हैं जिन्हें हमारे महान देश ने सदैव सर्वाधिक महत्व दिया हैं ।

अधिनियम की मूल धारा 18(ख) में आगे इस बात की भी व्यवस्था हैं कि यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय हैं कि निर्वाचन तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है तो :

"(एक) इस तथ्य के कारण कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जो न तो निर्वाचन में निर्वाचित हुआ है और न ही उसकी मौनानुकूलता से काम करने वाले व्यक्ति ने निर्वाचन में रिश्वत या असम्यक असर का प्रयोग किया है", तो

" उच्चतम न्यायालय निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन के बाबत यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है ।"

इस उप-खण्ड को अब पूर्णतः हटाने का प्रस्ताव है । इस उप-खण्ड को हटाने का तात्पर्य यह होगा कि व्यक्ति निर्वाचनों में पूर्ण रूप से रिश्वत अथवा असम्यक असर डालने का काम कर सकते है और इसके कारण निर्वाचन पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है ।

अधिनियम की मूल धारा 18 के उप-खण्ड (1) (क) और (i) (ख) सभी प्रकार से युक्तियुक्त वांछनीय और उचित थे । उनमें से किसी भी खण्ड को निकालना अथवा हटाना ऐसे निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव और अनौचित्य को मौनानुकूलता देने के तुल्य है ।

हम दोनों सभाओं के सदस्यों से जोरदार आग्रह करते हैं कि मूल अधिनियम की धारा 18 के बहुत ही उचित उपबन्धों में फेर-बदल न किया जाय ।

हम इस आधार पर इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि एक नामनिर्देशक और एक समर्थक द्वारा राष्ट्रपतीय नामनिर्देशन पत्र भरने के उपबन्ध से तुच्छ नामनिर्देशन का पत्र भरे जा सकते हैं, इसलिये राष्ट्रपतीय नामनिर्देशन पत्र के मामले में प्रस्थापकों और समर्थकों की संख्या 1 से बढ़ा कर 10 कर दी जाए । यदि विधान मंडल का एक सदस्य तुच्छ नामनिर्देशन पत्र भर सकता है तो 10 सदस्य भी तुच्छ नामनिर्देशन पत्र भर सकते हैं । संख्या बढ़ाने से स्थिति पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता तथा हम व्यर्थ ही मूल अधिनियम के शानदार उपबन्धों में फेर बदल कर रहे है । हमें कुछ समय रुक कर धर्य से स्वस्थ्य परम्पराओं को पनपने देना चाहिए ।

यद्यपि हमें सिद्धान्त रूप में इस उपबन्ध से कोई आपत्ति नहीं है कि राष्ट्रपतीय अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नामनिर्देशन पत्र की जमानत जमा की राशि 2,500 रुपये की जाये, लेकिन हमारा विचार है कि मूल अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था न करने से इस विषय पर कानूनी अड़चने पैदा हो सकती है । 2,500 रुपये जमानत जमा के इस प्रकार के सांसारिक उपबन्ध से तुच्छ नामनिर्देशन पत्र भरने यदि किसी की इच्छा हुई तो पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगेगा । सम्भवतः उचित यही है कि अधिनियम के उपबन्धों में कोई परिवर्तन न किया जाए । मूल अधिनियम के विनिर्माताओं ने जमानत जमा सम्बन्धी उपबन्धों को हटाना बुद्धिमतापूर्ण और अधिक सम्मानित समझा ।

नई दिल्ली ;

नवम्बर 15, 1973

टी० एन० सिंह
दिगविजय नारायण सिंह

तीन

मेरा विचार है कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं तथा तब तक यह इसी प्रकार चल सकता है जब तक कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की शक्तियों और कृत्यों से सम्बन्धित और महत्वपूर्ण पहलू सामने नहीं आते।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के उच्चतम पद के लिये ऐसे व्यक्ति स्वयं को अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनके निर्वाचित होने की जरा भी सम्भावना नहीं होती है। दूसरी बात जो उससे कम महत्व की नहीं है, वह यह है कि बहुत से व्यक्ति बिना गभीरतापूर्वक सोचे विचारे राष्ट्र के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन पर आक्षेप करने के लिये न्यायालय में पहुंच जाते हैं ?

सामान्यतः प्रजातांत्रिक संविधान में राष्ट्रपति का जो कि राष्ट्र के प्रतीकात्मक अध्यक्ष है, उचित आदर किया जाना चाहिए किन्तु हमारे देश में राष्ट्रपति के नाम पर, प्रशासनिक सरकार के पास अधिनायकीय शक्तियां है तथा वह प्रजातंत्र को कुचलने में उनका प्रयोग कर रहा है, जिनका उदाहरण संविधान के उत्तरवर्ती उपबन्धों में दिया गया है। सरकार के सत्तारूढ़ दल के हितों के लिये इन उपबन्धों का प्रयोग करके राष्ट्रपति के सम्मान को निम्नतम स्तर पर ला दिया है। अतः जब तक इन में सुधार नहीं किया जाता तब तक इस उपाय में कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा और इस कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत किसी भी राज्य सरकार को भंग कर सकता है और वहां राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकता है। उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह कोई कारण बताये बिना ही अथवा कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गये आरोपों का खण्डन करने का अवसर दिये बिना ही किसी कर्मचारी को पदच्यूत कर सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि वह आन्तरिक गड़बड़ी के नाम पर अथवा भारत की सुरक्षा को खतरे के नाम पर आपतकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है चाहे वास्तविक युद्ध न भी छिड़ा हो। भूमि सुधार अथवा मेहनत कश लोगों के हित में विभिन्न सामाजिक सुधारात्मक उपायों के सम्बन्ध में किसी भी राज्य द्वारा पारित कोई कानून उसकी अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और उस के कुछ खण्डों में यह व्यवस्था है कि वह किसी निर्वाचित सरकार को तथा संसद को भंग कर सकता है और तानाशाही राज्य भी स्थापित कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति नाम के साथ ये शक्तियां जुड़ी रहेंगी, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी वर्तमान कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति का चुने जाने का कोई अवसर हो अथवा न हो तब तक प्रजातंत्रवादी विपक्ष को कम से कम राष्ट्रपति की सम्पूर्ण शक्तियों के विरुद्ध एक विरोध के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है और इसलिए हम इस संभावना के प्रति किसी प्रतिबंध का विरोध करते हैं।

इसी प्रकार संसद तथा विधान सभाओं के लिए चुनाव एकल चुनाव क्षेत्र वितरक मत प्रणाली पर आधारित है जो वास्तव में अलग-अलग दलों की उस सापेक्षिक शक्ति का परिचय नहीं देती जो लोकप्रिय मत प्रणाली में मिलती है।

गत 25 वर्षों के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस दल लगभग 40–45 प्रतिशत मत लेकर, अथवा कभी-कभी इससे भी कम मत लेकर लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के अधिकाश स्थानों पर अपना एकाधिपत्य जमाये रहा है। जब तक इस सम्पूर्ण प्रणाली को बदल कर इसके स्थान पर, राज्य तथा अखिल भारतीय स्तरों पर राजनैतिक दलों पर आधारित सूचियों के अनुसार, अनुपातिक मतदान प्रणाली स्थापित नहीं की जाती तब तक यह परन्तुक कि लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के केवल कुछ निश्चित संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, जनता के प्रजातांत्रिक अधिकारों को और अधिक संकुचित ही करेगा।

18 वर्ष की आयु के समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार न देकर केवल 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार देना भी भारतीय संविधान की दूसरी अलोकतांत्रिक विशेषता है। प्रशासकीय व्यवस्था का उपयोग करके मतदाताओं को खरीदने के लिए सत्तारुढ़ दल द्वारा नियंत्रित रुपयों की थैलियों के मुह खोलकर और प्रजातन्त्रवादी दलों को आतंकित करने के लिए खुले आम डराने-धमकाने की कार्यवाही करके तथा निर्वाचन में धोखा-धड़ी करके जैसा की हाल में पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के मामले में हुआ था, जिस प्रकार निर्वाचन कराये गए है उससे वर्तमान राज्य विधान सभाओं तथा संसद के संविधान में सन्नहित अप्रजातंत्रवादी विशेषतायें और बढ़ गई हैं। अतः जब तक इन बातों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वचन की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन का सम्बन्ध है यह बात विचारणीय है कि जब उप-राष्ट्रपति का इसके सिवाय कोई कृत्य ही नहीं है कि वह किसी आपतकालीन स्थिति में ही राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करे तो उपराष्ट्रपति का पद रखने की आवश्यकता है भी

कि नहीं। यदि किसी आपतकालीन स्थिति में ही उसकी इस कार्य के लिए जरुरत पड़ती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्य सभा का सभापति ही राष्ट्रपति पद के भरे जाने के पूर्व राष्ट्रपति के स्थान पर उन कुछ दिनों तक कार्य कर सकता है।

जहां तक इस वर्तमान उपबन्ध का सम्बन्ध है कि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति होता है परन्तु उसका निर्वाचन लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों से बने निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए, मैं इस वर्तमान प्रक्रिया के पक्ष में नहीं हूं। राज्य सभा को भारतीय संघ के विभिन्न घटक राज्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए और प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और राज्य सभा की लोक सभा के बराबर शक्तियां होनी चाहिए ताकि किसी दल विशेष का लोक सभा में बहुमत होने के कारण उसके द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन न हो सके। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित राज्य सभा की, जो विधान सभाओं के वर्तमान सदस्यों के आधार पर बनी है, वर्तमान स्थिति यह है कि वह जैसा कि हमने पहले देखा है, विभिन्न राजनितिक दलों की लोक प्रिय शक्ति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है जिसका कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व का न होना है और इस प्रकार राज्य सभा की स्थिति में इस प्रतिनिधित्व का रूप और बिगड़ जाता है। इस प्रकार राज्य सभा के सभापति के पद पर आसीन व्यक्ति को वास्तव में महान बनाने जो कि वास्तव में उसे होना चाहिए, की दिशा में कोई प्रयत्न करने के मामले में पहला काम स्वयं राज्य सभा के रूप में सुधार करना और राज्यों के अधिकारों के वास्तविक अभिरक्षक के रूप में स्वयं उसका मान बढ़ाना होना चाहिए। यदि यह तत्काल नहीं भी किया जाता है तो राज्य सभा के सभापति की चुनाव में लोक सभा के सदस्यों को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करते हैं और राज्य सभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। यदि राज्य सभा के सभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाना है तो इस पद के लिए भी किसी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दायर करने की प्रक्रिया पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि उप-राष्ट्रपति का मान बचाये रखने के नाम पर इस संशोधनात्मक विधेयक में व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त यह संशोधनात्मक विधेयक निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने के क्षेत्र को अपने इस उपबन्ध से सीमित करता है कि राष्ट्रपति के मामले में कम से कम 20 तथा उप-राष्ट्रपति के मामले में 10 मतदाताओं को आपत्ति उठानी होगी। जबकि लोक सभा के किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लगभग 10 लाख मतदाताओं में से किसी भी एक मतदाता द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रतिबन्ध प्रजातंत्रवादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जिनसे निर्वाचन रद्द हो सकता है उम्मीदवार की अपनी जानकारी में न हो और इस प्रकार उनके बारे में वह शपथ लेने की स्थिति में न हों। यही कारण है कि प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन को चुनौती देने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में याचिका दाखिल करने के लिए अपेक्षित मत दाताओं की संख्या पहले से ही बहुत अधिक है। मैं इस उपबन्ध के विरूद्ध हूं।

दूसरी बात जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, यह है इसका एक उद्देश्य यह बताया गया है कि गंभीरतापूर्वक सोचे समझे बिना कोई सराहीन निर्वाचन याचिका दाखिल न की जा सके। यदि इस कारण से यह विधेयक लाया गया है, तो इस सम्बध में यह कहा जा सकता है कि झूठा साक्ष्य देने अथवा झूठी शपथ लेने के लिए दण्डित करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है अतः इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन पदों के लिए अभ्यर्थियों से 2,500 रु० की राशि जमा करने की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना अभ्यर्थी द्वारा डाले गए वैध मतों के छटे भाग के बराबर मत प्राप्त न कर पाने पर उक्त राशि को जब्त करने की ही कोई आवश्यकता है। वस्तुतः मेरा विचार यह है कि यदि कोई अभ्यार्थी किसी भी निर्वाचन में चाहे वह किसी विधान सभा के लिए हो या लोक सभा के लिए, वैध मतों के एक प्रतिशत के बराबर मत प्राप्त कर लेता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त नहीं की जानी चाहिए। मेरे विचार से किसी भी राजनीतिक दल अथवा गुट अथवा व्यक्ति का यह लोकतंत्रीय अधिकार है कि वह अपने दृष्टिकोण का, चाहे वह आरम्भ में कितना ही मामूली क्यों न हो, प्रचार करे और उस पर जनता की राय प्राप्त करे। अतः जमा की जाने वाली यह राशि यथासम्भव कम से कम होनी चाहिए तथा इस को जब्त करने की व्यवस्था भी डाले गये कुल वैध मतों की कम से कम प्रतिशतता पर आधारित होनी चाहिए।।

नई दिल्ली; **समर मुखर्जी**

16 नवम्बर, 1973

चार

राष्ट्रपति पद जैसे सर्वोच्च पद के चुनाव में कोई भी व्यक्ति, जिनको चुनकर आने की तनिक भी सम्भावना नहीं ऐसे व्यक्ति के नामांकन पत्र को निरुत्साहित करने की कल्पना समझ में आ सकती है। किन्तु उसके लिए सुझाये गए उपायों को देखकर यह आशंका आती है कि वे उपाय अयोग्य व्यक्तियों के रोकने के बजाए, ईमानदार व सुयोग्य व्यति के मार्ग में बाधक बनेंगे। उदाहरणार्थ, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या इतनी अधिक है कि किसी स्वतंत्र प्रत्याशी को, जिनको किसी दल का समर्थन नहीं, नामांकन पत्र दाखिल करना ही मुशिकल होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि वह संख्या घटाकर, राष्ट्रपति पद के लिए केवल 10 प्रस्तावक और उप-राष्ट्रपति पद के लिए केवल 5 प्रस्तावक (संसद सदस्य) तक ही सीमित करना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल न कर सके इसलिए जब प्रस्तावकों की संख्या ही बढ़ा दी है तो फिर 2,500 रूपये की डिपाजिट रखने की कुछ तुक समझ में नहीं आती। इसको निकाल ही देना चाहिए। यदि रखना ही है तो अन्य चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो छूट है वह यहां भी रखकर ऐसे व्यक्ति से आधी राशि लेनी चाहिए।

चुनाव याचिका दाखिल करने पर भी जो अधिक मात्रा में विधायकों की आवश्यकता रखी है, उससे भ्रष्टाचार के प्रमाण का पता लगने के बाद भी चुनाव याचिका दाखिल करना कठिन होगा। इसलिए यह संख्या घटाकर केवल पांच व्यक्तियों पर लाना चाहिए।

नई दिल्ली ; **जगन्नाथराव जोशी**

16 नवम्बर, 1973

1972 का विधेयक सं० 86

[प्रेसिडेन्शल एण्ड वाइस-प्रेसिडेन्शल इलैक्शन्स (अमेंडमेंट) बिल, 1972 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है)

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खिची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिन्ह हैं वहां लोप किया गया है)

राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1973 है। संक्षिप्त नाम।

1952 का 31 2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खण्ड (घ) में, "संसद् के किसी सदन का सदस्य" शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

'(चच) "लोक अवकाश दिन" से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए अवकाश-दिन हैं ; 1881 का 26

(ग) खण्ड (छ) में "प्राधिकृत" शब्द के स्थान पर "सक्षम" शब्द रखा जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी; अर्थात:— धारा 4 का संशोधन।

"(1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हर एक निर्वाचन के संबंध में —

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् चौदहवां दिन होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है तो उसके ठीक अगले दिन की, जो लोक अवकाश-दिन न हो, तारीख होगी;

(ख) नामनिर्देशन को संवीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख के ठीक बाद के दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है तो उसके ठीक अगले दिन की, जो लोक अवकाश-दिन न हो, तारीख होगी;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् दूसरे दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश-दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की, जो लोक अवकाश-दिन न हो, तारीख होगी ;

(घ) वह तारीख नियत करेगा जिसको, यदि मतदान आवश्यक हो, तो मतदान होगा और जो ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से पहले की तारीख न होगी ।"

* * * * *

धारा 5 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

निर्वाचन की लोक सूचना ।

"5. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर, निर्वाचन का रिटर्निंग आफिसर आशयित निर्वाचन की, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाए, लोक सूचना देगा, जिसमें ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित किए जायेंगे और वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा जहां पर नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किए जाने हैं ।

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन ।

5क. यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए संविधान के अधीन अर्हित है, तो वह उस पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं ।

5ख. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व, प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो स्वयं या अपने प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के द्वारा, रिटर्निंग आफिसर को, धारा 5 के अधीन जारी की गई लोक सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर, पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच, विहित प्ररूप में भरा गया नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करेगा जिस पर, अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की अनुमति देते हुए हस्ताक्षर किए जायेंगे तथा,

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम दस निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम दस निर्वाचकों द्वारा समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर किए जायेंगे;

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम पांच निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम पांच निर्वाचकों द्वारा समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर किए जायेंगे :

परन्तु कोई भी नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर को किसी ऐसे दिन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश-दिन है ।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में अभ्यर्थी से सम्बन्धित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी दिन पूर्वाह्न ग्यारह बजे से पहले और अपराह्न तीन बजे के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए ।

* * * * *

(4) जो नामनिर्देशन पत्र धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई अन्तिम तारीख को अपराह्न तीन बजे के पहले प्राप्त नहीं होता है या जिसके साथ इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है, वह नामंजूर कर दिया जाएगा और ऐसी नामंजूरी से सम्बन्धित एक संक्षिप्त टिप्पण उस नामनिर्देशन पत्र पर ही अभिलिखित किया जाएगा ।

(5) कोई निर्वाचक किसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर, हस्ताक्षर करता है तो प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र से भिन्न नामनिर्देशन पत्र पर उसका हस्ताक्षर निष्प्रभाव होगा ।

(6) इस धारा की कोई बात उसी अभ्यर्थी के एक ही निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने को नहीं रोकेगी;

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

निक्षेप ।

5ग (1) किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह दो हजार पांच सौ रुपए की राशि निक्षिप्त नहीं करता है या करता है :

परन्तु जहां एक ही निर्वाचन में कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस धारा के अधीन निक्षिप्त की गई है, जब तक कि अभ्यर्थी ने धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के समय, वह राशि रिटर्निंग आफिसर के पास नकद में निक्षिप्त न कर दी हो या निक्षिप्त न करा दी हो अथवा नामनिर्देशन पत्र के साथ एक रसीद संलग्न न कर दी हो। जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त कर दी गई है ।

नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा का समय और स्थान ।

5घ. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर रिटर्निंग आफिसर —

(क) उसमें नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख और समय कथित करते हुए अपने हस्तलेख से प्रमाणित करेगा तथा उस पर उसकी क्रम संख्या दर्ज करेगा ;

(ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख समय और स्थान की सूचना देगा ; तथा

(ग) खण्ड (क) के अधीन यथा प्रमाणित और संख्यांकित नामनिर्देशन पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा ।

नामनिर्देशनों की संवीक्षा

5ङ (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थीगण, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक-एक प्रस्थापक और एक-एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक्तः प्राधिकृत एक-एक अन्य व्यक्ति नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहने का हकदार होगा किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नहीं और रिटर्निंग आफिसर उन्हें सब अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर नहीं कर दिये गये हैं, परीक्षा करने के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगा ।

(2) संदेहों के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन पहले ही नामंजूर किये गये नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा ।

(3) तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसे सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन पत्र पर किए जाएं तथा या तो ऐसे किसी आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी किसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे यह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) यह कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को अभ्यर्थी संविधान के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है ; अथवा

(ख) यह कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से कोई धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र हस्ताक्षर करने के लिए अर्हित नहीं है ; अथवा

(ग) यह कि नामनिर्देशन पत्र पर उतने प्रस्थापकों का या समर्थकों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जितने अपेक्षित हैं ; अथवा

(घ) यह कि अभ्यर्थी के या प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के हस्ताक्षर असली नहीं हैं या कपट द्वारा किए गए हैं ; अथवा

* * * * *

(ङ) यह कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबन्धों में से किसी के अनुपालन में चूक हुई है ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) से (ङ) में अन्तर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी नामनिर्देशन पत्र की बाबत वह किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को किसी अनियमितता के आधार पर नामंजूर करने के लिए प्राधिकृत करती है यदि अभ्यर्थी किसी अन्य नामनिर्देशन पत्र द्वारा, जिसकी बाबत कोई अनियमितता नहीं हुई है, सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है ।

(5) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो महत्वपूर्ण नहीं है ।

(6) रिटर्निंग आफिसर धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का स्थगन तभी अनुज्ञात करेगा जब ऐसी कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा द्वारा या उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों द्वारा विघ्न या बाधा डाली जाती है :

परन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो सम्बद्ध अभ्यर्थी को उसका खण्डन करने के लिए, संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन छोड़कर अगले दिन से अनधिक समय अनुज्ञात किया जाएगा, तथा रिटर्निंग आफिसर अपना विनिश्चय उस तारीख को अभिलिखित करेगा जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं ।

(7) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा ।

(8) तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तब तक इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है।"। 1950 का 43

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "उसके ऐसे प्रस्थापक या समर्थक द्वारा" शब्दों के स्थान पर "उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से ऐसे किसी भी प्रस्थापक या समर्थक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असलीपन और उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहिचान के बारे में अपना समाधान कर लेने पर, सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 14 का संशोधन।

"(2) निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जी, ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 19 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, या

(i) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, अर्जीदारों के रूप में संयुक्त बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा

(ii) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, अर्जीदारों के रूप में संयुक्त दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा

की जासकेगी।"

7. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 18 का संशोधन।

"(1) यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि—

(क) निर्वाचन में रिश्वत या असम्यक् असर का अपराध निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, अथवा

(ख) निर्वाचन परिणाम

(i) किसी मत के अनुचित रूप से लेने या अनुचित रूप से इन्कार करने के कारण, या

(ii) संविधान के या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के उपबन्धों के किसी अननुपालन द्वारा, या

(iii) इस तथ्य के कारण कि (सफल अभ्यर्थी से भिन्न) किसी ऐसे अभ्यर्थी का, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिगृहीत किया गया है,

तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है, या

(ग) किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिक्षेपित किया गया है या किसी सफल अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिगृहीत किया गया है।

तो उच्चतम न्यायालय निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बावत यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है।"।

नई धारा 20क का अन्तःस्थापन।

8. मूल अधिनियम के भाग 4 में, विद्यमान धारा 21 के पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अभ्यर्थी के निक्षेप का लौटाया जाना या समपहरण।

"20क. (1) धारा 5ग के अधीन किया गया निक्षेप या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दिया जाएगा या इस धारा के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समपहृत हो जाएगा।

(2) इस धारा में इसके पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय, निक्षेप निर्वाचन के परिणाम के घोषित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र लौटा दिया जाएगा।

(3) यदि अभ्यर्थी का नाम धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सूची में नहीं है, अथवा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निक्षेप, यथास्थिति, सूची के प्रकाशन या अभ्यर्थी की मृत्यु के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र लौटा दिया जाएगा।

(4) यदि उस निर्वाचन में, जिसमें मतदान हो गया है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मत संख्या के छठवें भाग से अधिक नहीं हो, तो, निक्षेप, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समपहृत हो जाएगा।"।

धारा 21 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(1) उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ख) में "संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गग) वह प्ररूप और रीति जिससे रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 5 के अधीन लोक सूचना दी जाएगी;";

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) मतदान का स्थान और समय, वह रीति जिससे साधारणतः और अशिक्षित मतदाताओं की

दशा में अथवा जिस भाषा में मतपत्र मुद्रित हुए हैं उसका ज्ञान न रखने वाले मतदाताओं या शारीरिक या अन्य निःश्चितता से ग्रस्त मत-दाताओं की दशा में भी, मत दिए जाने हैं, तथा मतदान के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;" ;

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु ऐसे नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 सदस्य अर्थात् :—

1. श्री पी० गंगादेव
2. श्री पी० के० घोष
3. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
4. श्री एस० बी० गिरि
5. श्री एच० आर० गोखले
6. श्री जगन्नाथराव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री एस० ए० कादर
9. श्री रोबिन ककोटी
10. श्री ए० केवीचुसा
11. श्री पीलू मोदी
12. श्री समर मुखर्जी
13. श्री प्रताप सिंह नेगी
14. श्री तारकेश्वर पाण्डे
15. श्री रसिक लाल पारिख
16. श्री झारखण्डे राय
17. श्री राजदेव सिंह
18. श्री जे० रामेश्वर राव
19. श्री एम० एस० संजीवीराव
20. श्री एस० सी० सामन्त
21. श्री सी० के० जाफरशरीफ
22. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
23. श्री नवल किशोर सिन्हा
24. श्री सुन्दर लाल
25. श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी
26. श्री मंगरू उइके
27. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
28. श्री वीरभद्र सिंह
29. श्री जी० विश्वनाथन
30. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

और राज्य सभा से 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा के अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष महोदय करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

परिशिष्ट दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा को इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित 15 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें :—

1. श्री गुणानन्द ठाकुर
2. श्री कोटा पुन्नैया
3. श्री टी० एन० सिंह
4. श्री गुरुचरणसिंह टोहड़ा
5. श्री के० ए० कृष्णास्वामी
6. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
7. श्री बालचन्द्र मेनन
8. श्री लोकनाथ मिश्र
9. श्री लालबुअइया
10. श्री गणेशलाल माली
11. श्री ई० एम० सांगमा
12. श्री त्रिलोकी सिंह
13. श्री एच० एम० त्रिवेदी
14. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
15. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री ।"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

उन संस्थाओं तथा संगठनों आदि के नाम जिससे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं

1. भारतीय साम्यवादी दल की राष्ट्रीय परिषद तथा भारतीय साम्यवादी दल का संसदीय दल ।
2. श्री सत्यपाल डांग, सदस्य विधान सभा, पंजाब विधान सभा में साम्यवादी दल के नेता ।
3. श्री एन० जी० गोरे, संसद् सदस्य ।
4. वैस्ट बंगाल एसोसिएशन ऑफ डिमोक्रेटिक लौयर्स, कलकत्ता ।
5. श्री एन० एस० दास बहल, एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
6. डा० पी० एस० योगीराजा, मथुरावाला, देहरादून ।
7. बार काउंसिल ऑफ इण्डिया ।
8. श्री पी० राम रेड्डी, सीनियर एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
9. श्री एन० ए० पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 9)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रम संख्या	अधिकारियों/संस्थाओं/संगठनों आदि का नाम	जिस तारीख को साक्ष्य लिया गया
1	श्री एस० पी० सेन वर्मा, भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त	17-1-1973
2	श्री के० एन० वांचू, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	17-1-1973
3	श्री के० वी० के० सुन्दरम्, भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त	18-1-1973 तथा 19-1-1973
4	श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	18-1-1973
5	श्री हरि विष्णु कामथ, भूतपूर्व संसद् सदस्य	18-1-1973 तथा 20-6-1973
6	श्री एन० एस० दास बहल, एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	18-1-1973
7	डा० नगेन्द्र सिंह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त	19-1-1973 तथा 20-1-1973
8	श्री एम० हिदायतुल्ला, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	19-1-1973
9	श्री ए० के० सरकार, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	19-1-1973
10	श्री नीरेन दे, भारत के महान्यायवादी	20-1-1973
11	श्री पी० राम रेड्डी, सीनियर एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	20-1-1973
12	श्री टी० स्वामिनाथन्, मुख्य निर्वाचन आयुक्त	19-6-1973
13	श्री एन० ए० पालकीवाला, सीनियर एडवोकेट, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	6-7-1973
14	श्री एच० एम० सीरवाई, एडवोकेट जनरल, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	7-7-1973
15	श्री एस० एम० सीकरी, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश	27-7-1973

परिशिष्ट पांच

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 13 सितम्बर, 1972 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० सी० सामन्त— पीठासीन

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरी
6. श्री एच० आर० गोखले
7. श्री जगन्नाथ राव जोशी
8. श्री जे० जी० कदम
9. श्री पीलू मोदी
10. श्री समर मुखर्जी
11. श्री प्रताप सिंह नेगी
12. श्री तारकेश्वर पांडे
13. श्री रसिक लाल पारिख
14. श्री झारखण्डे राय
15. श्री राजदेव सिंह
16. श्री जे० रामेश्वर राव
17. श्री एम० एस० संजीवीराव
18. श्री सी० के० जाफर शरीफ
19. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
20. श्री नवल किशोर सिन्हा
21. श्री एम० जी० उइके
22. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

राज्य-सभा

23. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
24. श्री लालबुअइया
25. श्री लोकनाथ मिश्र
26. श्री कोटा पुन्नैया
27. श्री टी० एन० सिंह
28. श्री त्रिलोकी सिंह
29. श्री गुणानन्द ठाकुर
30. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम् — संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार
2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति — अतिरिक्त विधायी सलाहकार
3. श्री एच० सी० वरमानी — अवर सचिव ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे — उप सचिव ।

2. समिति के सभापति की अनुपस्थिति में श्री एस० सी० सामन्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258 (3) के अन्तर्गत बैठक के सभापति के रुप में कार्य करने के लिए चुने गए ।

3. कुछ विचार विमर्श पश्चात् समिति के निर्णय किया कि विधेयक की विषयवस्तु में रूचि रखने वाले तथा उसके सम्बन्ध में समिति के विचारार्थ ज्ञापन देने के इच्छुक विभिन्न राजनितिक दल, संगठन, संस्थाएं, सरकारी निकाय, व्यक्ति आदि 18 अक्टूबर, 1972 तक समिति के विचारार्थ ज्ञापन दे सकते हैं, समिति ने लोक सभा सचिवालय को निदेश दिया कि इस सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाए ।

4. समिति ने यह भी निर्णय किया की निम्नलिखित से विधेयक पर लिखित ज्ञापन मंगाये जायें तथा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने के लिये उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाए :—

(एक) भारत के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नेता ।

(दो) संसद के सभी राजनैतिक दलों तथा/या ग्रुपों के नेता ।

(तीन) स्वतंत्र संसदीय ग्रुप का नेता ।

(चार) संसद के सभी निर्दलीय सदस्य ।

(पांच) सभी राज्यों के विधान मण्डलों के विभिन्न राजनैतिक दलों तथा / अथवा ग्रुपों के नेता ।

(छः) बार काउंसिलों, उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों की बार एसोसिएशन, आदि ।

5. समिति ने यह भी निर्णय किया कि निम्नलिखित को विधेयक के उपवन्धों के सम्बन्ध में समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया जाए :—

(एक) भारत के सभी भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

(दो) भारत के महान्यायवादी

(तीन) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(चार) भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (श्री के० वी० के० सुन्दरम्)

(पांच) श्री जय प्रकाश नारायण

(छः) श्री एच० एन० कुंजरू

(सात) श्री सी० डी० देशमुख

6. समिति के सदस्यों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर उन संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि के नामों का सुझाव दे दें जिन्हें समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ।

7. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को इसके लिए प्राधिकृत किया कि वह मौखिक साक्ष्य देने की इच्छुक पार्टियों में से पार्टियों का चयन करें ।

8. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि विधि और न्याय मंत्रालय उसे निम्नलिखित चीजें भेजे :—

(एक) विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में पृष्ठाधार जानकारी देने वाला एक टिप्पण ।

(दो) विदेशों में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए अपनायी जाने वाली विद्यमान प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक टिप्पण ।

(तीन) राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदों के निर्वाचन से सम्बन्धित संविधान के संगत उपबन्धों के बारे में संविधान सभा के वाद-विवादों से संगत उद्धरण।

(चार) राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पदों के निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में की गयी चुनाव याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय।

9. समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विधि और न्याय मंत्रालय समिति को विधेयक के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले सभी ज्ञापनों की सारणी तैयार करे और समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियां एक विवरण के रूप में समिति को भेजे।

10. तत्पश्चात् समिति ने यह निर्णय किया कि समिति को प्राप्त ज्ञापनों में उठाये गए विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा शनिवार 21 अक्तूबर, 1972 को होने वाली समिति की अगली बैठक में की जाएगी।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक शनिवार 21 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे से 12.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. श्री एस० बी० गिरि
5. श्री एच० आर० गोखले
6. श्री जे० जी० कदम
7. श्री पीलू मोदी
8. श्री प्रताप सिंह नेगी
9. श्री तारकेश्वर पांडे
10. श्री रसिक लाल पारिख
11. श्री झारखण्डे राय
12. श्री राजदेव सिंह
13. श्री जे० रामेश्वर राव
14. श्री एम० एस० संजीवी राव
15. श्री एस० सी० सामन्त
16. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
17. श्री नवल किशोर सिन्हा
18. श्री सुन्दर लाल
19. श्री मगरु उइके
20. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

राज्य सभा

21. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
22. श्री लाल बुआइया
23. श्री गणेशलाल माली
24. श्री बालचन्द्र मेनन
25. श्री लोकनाथ मिश्र

26. श्री कोटा पुन्नैया

27. श्री ई० एम० सांगमा

28. श्री टी० एन० सिंह

29. श्री त्रिलोकी सिंह

30. श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा

31. श्री एच० एम० त्रिवेदी

32. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उपसचिव**

2. आरम्भ में सभापति ने समिति को बताया कि अब तक निम्नलिखित व्यक्ति समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने को तैयार हुए हैं :—

(एक) श्री जे० सी० शाह, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

(दो) श्री के० एन० वांचू, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

(तीन) श्री एम० हिदायतुल्ला, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

(चार) श्री सी० डी० देशमुख

(पांच) श्री के० बी० के० सुन्दरम, भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ।

समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों को भी मौखिक साक्ष्य देने हेतु बुलाने का निश्चय किया :—

(एक) श्री एच० बी० कामत, भूतपूर्व संसद सदस्य ।

(दो) श्री राम रेड्डी, सीनियर एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय ।

(तीन) श्री सोमनाथ आयल, सीनियर एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय ।

3. समिति का विचार था कि चूंकि समिति को अभी विभिन्न एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि, जिन्होंने साक्ष्य देने की इच्छा व्यक्त की है, का साक्ष्य लेना है । इसलिये समिति के लिये निर्धारित तिथि अर्थात् 17 नवम्बर, 1972 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । अतः समिति ने अगले बजट सत्र (1973) के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने की अनुमति लेने का निश्चय किया ।

4. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री नवल किशोर सिन्हा को इस हेतु सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिये प्राधिकृत किया ।

5. समिति ने, समिति को प्राप्त ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों पर सामान्य विचार-विमर्श के लिये नवम्बर, 1972 को अपनी अगली बैठक करने तथा 16 से 20 जनवरी, 1973 तक विभिन्न एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि का साक्ष्य लेने का निश्चय किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 1 नवम्बर, 1973 को 14.30 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
4. श्री एस० बी० गिरि
5. श्री जे० जी० कदम
6. श्री पीलू मोदी
7. श्री समर मुखर्जी
8. श्री प्रताप सिंह नेगी
9. श्री तारकेश्वर पांडे
10. श्री रसिक लाल पारिख
11. श्री झारखण्डे राय
12. श्री राजदेव सिंह
13. श्री जे० रामेश्वर राव
14. श्री एम० एस० संजीवी राव
15. श्री सी० के० जफर शरीफ
16. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
17. श्री सुन्दर लाल
18. श्री एम० जी० उइके
19. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
20. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

21. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
22. श्री लाल बुआइया
23. श्री गणेश लाल माली
24. श्री लोकनाथ मिश्र
25. श्री कोटा पुन्नैया
26. श्री टी० एल० सिंह
27. श्री त्रिलोकी सिंह

28. श्री गुणानन्द ठाकुर

29. सरदार गुरचरन सिंह टोहड़ा

30. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम्—**संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**
2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति—**अतिरिक्त विधायी सलहाकार**
3. श्री एच० सी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—**संयुक्त सचिव**।

2. समिति ने विधेयक के उपबन्धों तथा प्राप्त ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

3. समिति सभापति द्वारा चुने जाने वाले विभिन्न संगठनों, एसोसिएशनों, व्यक्तियों आदि का मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये 17 से 20 जनवरी, 1973 तक समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक 17 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे से 13.30 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री जगन्नाथ राव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री समर मुखर्जी
9. श्री प्रताप सिंह नेगी
10. श्री तारकेश्वर पाण्डे
11. श्री रसिकलाल पारिख
12. श्री झारखण्डे राय
13. श्री राजदेव सिंह
14. श्री एस० सी० सामन्त
15. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
16. श्री नवल किशोर सिन्हा
17. श्री सुन्दर लाल
18. श्री एम० जी० मंगरू उइके
19. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
20. श्री वीरभद्र सिंह
21. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

22. श्रीमती मरगतम चन्द्रशेखर
23. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
24. श्री लाल बुआइया
25. श्री गणेश लाल माली

26. श्री बालचन्द्र मेनन

27. श्री लोक नाथ मिश्र

28. श्री कोटा पुन्नैया

29. श्री ई० एम० सांगमा

30. श्री टी० एन० सिंह

31. श्री त्रिलोकी सिंह

32. श्री गुणानन्द ठाकुर

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम–**सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति —**अपर विधाई परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—**संयुक्त सचिव**

श्री एच० जी० परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति द्वारा निम्नलिखित का साक्ष्य सुनने के पूर्व सभापति ने समिति का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया :

(एक) श्री एस० पी० सेन वर्मा, भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(11.00 बजे से 13.30 बजे तक)

(दो) श्री के० एन० वांचू भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश
(15.00 बजे से 16.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: * रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक गुरुवार, 18 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 18 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे से 13.15 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर— सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री जगन्नाथराव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पांडे
12. श्री रसिक लाल पारिख
13. श्री झारखंडे राय
14. श्री राजदेव सिंह
15. श्री जे० रामेश्वर राव
16. श्री एम० एस० संजीवीराव
17. श्री एस० सी० सामंत
18. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
19. श्री नवल किशोर सिन्हा
20. श्री मंगरू उइके
21. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
22. श्री वीरभद्र सिंह
23. श्री जी० विश्वनाथन्
24. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

25. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
26. श्री के० बी० छेत्री
27. श्री लाल बुआइया

28. श्री गणेश लाल माली

29. श्री बालचन्द्र मेनन

30. श्री कोटा पुन्नैया

31. श्री ई० एम० सांगमा

32. श्री टी० एन० सिंह

33. श्री त्रिलोकी सिंह

34. श्री गुणानंद ठाकुर

35. श्री एच० एम० त्रिवेदी

36. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्द्रम—**सचिव**

2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति—**अतिरिक्त विधाई परामर्शदाता**

3. श्री ए व० सी० वरमानी—**अवर सचिव** ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप-सचिव** ।

2. समिति द्वारा निम्नलिखित का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया :—

(एक) श्री के० वी० के० सुन्द्रम्,
भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।
(11.00 बजे से 12.00 बजे तक)

(दो) श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा,
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ।
(12.00 बजे से 13.15 बजे तक)

(तीन) श्री एच० वी० कामथ, भूतपूर्व संसद सदस्य
(15.00 बजे से 16.00 बजे तक)

(चार) श्री एन० एस० दास बहल, अधिवक्ता,
उच्चतम न्यायालय, दिल्ली ।
(16.00 बजे से 17.00 बजे तक)

3. सर्वश्री के० वी० के० सुन्द्रम और एच० वी० कामथ का साक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ । समिति ने निश्चय किया कि श्री के० वी० के० सुन्द्रम से शुक्रवार, 19 जनवरी, 1973 को 16.00 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए और श्री एच० वी० कामथ को मार्च, 1973 में किसी समय आगे साक्ष्य देने को आमंत्रित किया जाए ।

4. साक्ष्य का शब्दश: * रिकार्ड रखा गया ।

5. सभापति ने समिति को बताया कि श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल, संसद सदस्य ने 19 जनवरी, 1973 की अपेक्षा 20 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे के पश्चात समिति के समक्ष उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की है । 20 जनवरी के लिये निर्धारित समय-सूची को बदला न जा सकने के कारण समिति श्री पटेल के अनुरोध से सहमत नहीं हुई ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 19 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

---

* सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 19 जनवरी, 1973 को 11.00 बजे से 13.30 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री जगन्नाथराव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पांडे
12. श्री रसिक लाल पारिख
13. श्री झारखंडे राय
14. श्री राजदेव सिंह
15. श्री जे० रामेश्वर राव
16. श्री एम० एस० संजीवी राव
17. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
18. श्री नवल किशोर सिन्हा
19. श्री मंगरु उइके
20. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
21. श्री वीरभद्र सिंह
22. श्री जी० विश्वनाथन
23. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

24. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
25. श्री कृष्ण बहादुर क्षेत्री

26. श्री लालबुग्राइया
27. श्री गणेश लाल माली
28. श्री बालचन्द्र मेनन
29. श्री लोक नाथ मिश्र
30. श्री कोटा पुन्नैया
31. श्री ई० एम० सांगमा
32. श्री टी० एन० सिह
33. श्री त्रिलोकी सिंह
34. श्री गुणानन्द ठाकुर
35. श्री एच० एम० त्रिवेदी।

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम् . . सचिव
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति . अपर विधायी सलाहकार
3. श्री एच० सी० वरमानी . अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे . . उप-सचिव

2. निम्नलिखित का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

(एक) डा० नगेन्द्र सिंह,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
(11.00 बजे से 12.05 बजे तक)

(दो) श्री एम० हिदायतुल्ला,
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश।
(12.05 बजे से 13.30 बजे तक)

(तीन) श्री ए० के० सरकार,
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश।
(15.00 बजे से 16.25 बजे तक)

(चार) श्री के० वी० के० सुन्दरम,
भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
(16.25 बजे से 17.15 बजे तक)

3. डा० नगेन्द्र सिंह का पूरा साक्ष्य नहीं लिया गया, समिति ने निर्णय किया कि डा० नगेन्द्र सिंह से शनिवार, 20 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे समिति के समक्ष पुनः उपस्थित होने के लिये कहा जाये।

4. साक्ष्य का शब्दशः* रिकार्ड रखा गया।

5. तदुपरान्त समिति की बैठक शनिवार, 20 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक 20 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे से 13.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री एस० बी० गिरि
4. श्री जगन्नाथ राव जोशी
5. श्री जे० जी० कदम
6. श्री पीलू मोदी
7. श्री समर मुखर्जी
8. श्री प्रताप सिंह नेगी
9. श्री तारकेश्वर पांडे
10. श्री झारखण्डे राय
11. श्री राजदेव सिंह
12. श्री एम० एस० संजीवी राव
13. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
14. श्री नवल किशोर सिन्हा
15. श्री सुन्दर लाल
16. श्री एम० जी० उइके
17. श्री वीरभद्र सिंह
18. श्री जी० विश्वनाथन
19. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

20. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
21. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
22. श्री लालबुआइया
23. श्री गणेश लाल माली
24. श्री बाल चन्द्र मेनन
25. श्री लोकनाथ मिश्र
26. श्री ई० एम० सांगमा

27. श्री टी० एन० सिंह

28. श्री त्रिलोकी सिंह

29. श्री गुणानन्द ठाकुर

30. श्री एच० एम० त्रिवेदी

31. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम — **सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति — **अपर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० विरमानी — **अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे . **उप सचिव**

2. समिति द्वारा निम्नलिखित का साक्ष्य सुनने के पूर्व सभापति ने समिति का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया :—

(एक) डा० नगेन्द्र सिंह, मुख्य चुनाव आयुक्त ।
[10.00 बजे से 11.30 बजे तक]

(दो) श्री नीरेन दे, भारत के महान्यायवादी ।
[11.30 बजे से 12.30 बजे तक]

(तीन) श्री पी० राम रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
[12.30 बजे से 13.15 बजे तक]

3. समिति ने निश्चय किया कि भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री एच० वी० कामथ को 17 फरवरी, 1973 या 24 फरवरी, 1973 या 10 मार्च, 1973 में से किसी भी तारीख को जब भी उन्हें सुविधाजनक हो समिति के समक्ष और आगे व्यक्तिगत साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाये ।

4. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 24 मार्च, 1973 को 11.00 बजे से 11.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री तारकेश्वर पाण्डे
4. श्री रसिक लाल पारिख
5. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
6. श्री एम० जी० उइके
7. श्री वीरभद्र सिंह
8. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

9. श्री बाल चन्द्र मेनन
10. श्री लोक नाथ मिश्र
11. श्री ई० एम० संगमा

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम—**सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप सचिव**

2. गणपूर्ति न होने के कारण समिति की बैठक स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 12 अप्रैल, 1973 को 10.15 बजे से 10.40 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस० बी० गिरि
3. श्री एच० आर० गोखले
4. श्री जगन्नाथ राव जोशी
5. श्री ए० केवी चुसा
6. श्री समर मुखर्जी
7. श्री प्रताप सिंह नेगी
8. श्री तारकेश्वर पाण्डे
9. श्री रसिक लाल पारिख
10. श्री झारखण्डे राय
11. श्री एम० एस० संजीवीराव
12. श्री एस० सी० सामन्त
13. श्री नवल किशोर सिन्हा
14. श्री वीरभद्र सिंह
15. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

16. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
17. श्री लाल बुग्राइया
18. श्री बाल चन्द्र मेनन
19. श्री लोक नाथ मिश्र
20. श्री कोटा पुन्नैया
21. श्री टी० एन० सिंह

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति— **अपर विधायी परामर्शदाता**

2. श्री एच० सी० विरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उपसचिव**

2. समिति ने निर्णय किया कि श्री हरि विष्णु कामथ, भूतपूर्व संसद् सदस्य को जिनका 24 मार्च, 1973 को यथापूर्ति न होने के कारण साक्ष्य नहीं लिया जा सका, 11 जून, 1973 तथा 20 जून, 1973 के बीच किसी दिन, जो उन्हें सुविधाजनक हो, अपना साक्ष्य पूरा करने के लिए फिर आमन्त्रित किया जाये ।

3. समिति ने यह भी निर्णय किया कि निम्नलिखित व्यक्तियों को विधेयक के सम्बन्ध में समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आमन्त्रित किया जाये :—

1. श्री टी० स्वामीनाथन्,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

2. श्री एन० ए० पालकीवाला,
सीनियर एडवोकेट
भारत का उच्चतम न्यायालय

3. श्री एच० एम० सीरवाइ,
एडवोकेट जनरल,
महाराष्ट्र सरकार

4. समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह उनकी सुविधा मालूम करके समिति की बैठकों की तारीखें निर्धारित करे जो कि अधिमानतः 1973 के प्रथम सप्ताह में हों । समिति ने आगे यह भी निर्णय किया कि यदि सर्वश्री पालकीवाला तथा सीरवाइ को साक्ष्य देने के लिए दिल्ली आना सुविधाजनक न हो तो समिति की बैठक बम्बई में की जा सकती है ।

5. समिति ने यह महसूस किया कि उसके लिए अपना कार्य निर्धारित तारीख तक **अर्थात्** वर्तमान बजट सत्र के अन्तिम दिन तक, पूरा कर सकना सम्भव नहीं होगा । इसलिए समिति ने निर्णय किया कि वह अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक का समय बढ़ाने की मांग करे ।

6. समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री रसिक लाल पारिख, संसद् सदस्य, को सभा में बुधवार, 25 अप्रैल, 1973 को आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 19 जून, 1973 को 10.00 बजे से 11.45 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री टी० एन० सिंह--**पीठासीन**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
4. श्री एस० वी० गिरि
5. श्री एच० आर० गोखले
6. श्री जगन्नाथ राव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पाण्डे
12. श्री झारखण्डे राय
13. श्री राज देव सिंह
14. श्री एम० एस० संजीवीराव
15. श्री एस० सी० सामन्त
16. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
17. श्री नवल किशोर सिन्हा
18. श्री एम० जी० उइके
19. श्री वीर भद्र सिंह

राज्य सभा

20. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
21. श्री के० बी० छेत्री
22. श्री लाल कुआइया
23. श्री गणेश लाल माली
24. श्री लोक नाथ मिश्र
25. श्री कोटा पुन्नैया
26. श्री ई० एम० सांगमा
27. श्री त्रिलोकी सिंह
28. श्री एच० एम० त्रिवेदी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम—**सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति—**अवर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० विरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उपसचिव**

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 258(3) के अन्तर्गत सभापति की अनुपस्थिति में उक्त बैठक में सभापति का कार्यभार संभालने के लिए श्री टी० एन० सिंह को चुना गया।

3. समिति द्वारा प्रधान निर्वाचन आयुक्त श्री टी० स्वामीनाथन् का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश संख्या 58 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया।

4. साक्ष्य 11·45 बजे तक चला।

5. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् समिति बुधवार, 20 जून, 1973 को 10·00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 20 जून, 1973 को 10 '00 बजे से 12 '30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री टी० एन० सिंह—**पीठासीन**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
4. श्री एस० वी० गिरि
5. श्री एच० ग्रार० गोखले
6. श्री जगन्नाथ राव जोशी
7. श्री जे० जी० कदम
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पाण्डे
12. श्री झारखण्डे राय
13. श्री राजदेव सिंह
14. श्री एम० एस० संजीवीराव
15. श्री एस० सी० सामन्त
16. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
17. श्री नवल किशोर सिन्हा
18. श्री बीरभद्र सिंह
19. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

20. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
21. श्री लाल बुग्राइग्रा
22. श्री गणेशलाल माली
23. श्री कोटा पुन्नैया
24. श्री ई० एम० सांगमा
25. श्री एच० एम० त्रिवेदी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति--**अपर विधायी सलाहकार**

2. श्री एच० सी० विरमानी--**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--**उप-सचिव**

सभापति की अनुपस्थिति में,

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 258(3) के अन्तर्गत श्री टी० एन० सिंह को बैठक में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया।

3. समिति ने श्री हरि विष्णु कामत, भूतपूर्व संसद् सदस्य, के मौखिक साक्ष्य की आगे सुनवाई की। साक्ष्य 12.15 बजे तक चला।

4. *साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

5. तत्पश्चात समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने सर्वश्री एन० ए० पालकीवाला और एच० एम० सीरवाई के मौखिक साक्ष्य सुनने के लिये 6 और 7 जुलाई, 1973 को कौंसिल हाल, बम्बई में अपनी आगामी बैठकें करने का निश्चय किया।

6. समिति ने भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० एम० सीकरी को जुलाई, 1973 में किसी समय संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में अपना मौखिक साक्ष्य देने के लिये आमंत्रित करने का भी निश्चय किया।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 6 जुलाई, 1973 को 11.00 से 13.30 बजे तक कांग्रेस पार्टी हाल, कौंसिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
3. श्री एस० बी० गिरि
4. श्री जे० जी० कदम
5. श्री पीलू मोदी
6. श्री प्रताप सिंह नेगी
7. श्री राजदेव सिंह
8. श्री एस० सी० सामन्त
9. श्री सी० के० जाफर शरीफ
10. श्री नवल किशोर सिन्हा
11. श्री मंगरु उइके
12. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

13. श्री कृष्ण बहादुर क्षेत्री
14. श्री के० ए० कृष्णास्वामी
15. श्री लाल बुआइया
16. श्री गणेश लाल माली
17. श्री कोटा पुन्नैया
18. श्री टी० एन० सिंह
19. श्री गुणानन्द ठाकुर
20. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) का प्रतिनिधि

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन० ए० पालकीवाला का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया ।

3. साक्ष्य 13.30 बजे तक चला ।

4. साक्ष्य का एक* शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

5. तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी हाल, कौंसिल हाल, बम्बई में शनिवार, 7 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 7 जुलाई, 1973 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक कांग्रेस पार्टी हाल, कौंसिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर--**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
3. श्री एस० बी० गिरि
4. श्री जगन्नाथ राव जोशी
5. श्री पीलू मोदी
6. श्री प्रताप सिंह नेगी
7. श्री राजदेव सिंह
8. श्री एम० एस० संजीवीराव
9. श्री सी० के० जाफर शरीफ
10. श्री नवल किशोर सिन्हा
11. श्री मंगरू उइके
12. श्री नीतिराजसिंह चौधरी

राज्य सभा

13. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
14. श्री के० ए० कृष्णास्वामी
15. श्री लाल बुग्राइया
16. श्री गणेश लाल माली
17. श्री कोटा पुन्नैया
18. श्री टी० एन० सिंह
19. श्री त्रिलोकी सिंह
20. श्री गुणानन्द ठाकुर
21. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) का प्रतिनिधि

श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति--**ग्रपर विधायी परामर्शदाता**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति द्वारा महाराष्ट्र सरकार के महाधिवक्ता श्री एच० एम० सीरवाई का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

3. साक्ष्य 16.30 बजे तक चला।

4. साक्ष्य का एक *शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय किये:—

(1) विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा	16 जुलाई, 1973 को 12.00 बजे
(2) संशोधन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख	28 जुलाई, 1973

6. तत्पश्चात् समिति ने कौंसिल हॉल, बम्बई में समिति की बैठकों का आयोजन करने में महाराष्ट्र विधान सभा के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता की सराहना की।

समिति ने राज्य सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) और बम्बई में स्थित इसके ब्रांच सचिवालय के अधिकारियों द्वारा बैठकों का आयोजन करने में समिति को दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने इस बात के लिये कोई कसर नहीं छोड़ी कि समिति के सदस्य बम्बई में आराम से रह सकें।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 16 जुलाई, 1973 को 12.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस० बी० गिरि
3. श्री एच० ग्रार० गोखले
4. श्री प्रताप सिंह नेगी
5. श्री झारखण्डे राय
6. श्री राजदेव सिंह
7. श्री नवल किशोर सिन्हा
8. श्री सुन्दर लाल
9. श्री मंगरू उइके
10. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

11. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
12. श्री गणेश लाल माली
13. श्री लोकनाथ मिश्र
14. श्री कोटा पुन्नैया
15. श्री टी० एन० सिंह
16. श्री त्रिलोकी सिंह
17. श्री गुणानन्द ठाकुर
18. श्री एच० एम० त्रिवेदी
19. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम—**सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति—**ग्रपर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० वरमानी—**ग्रवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच०जी० परांजपे—**उपसचिव**

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति को सूचित किया कि भारत के भूतपूर्व मुख्यन्यायाधीश श्री एस०एम० सीकरी विधेयक के उपबन्धों पर समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए सहमत हो गये हैं। समिति ने शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973 को 16.00 बजे श्री एस०एम० सीकरी का साक्ष्य लेने का निश्चय किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने उसको दिये गये ज्ञापनों में तथा परवर्ती तारीखों को समिति के समक्ष दिये गये मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

4. समिति ने अनुभव किया कि निर्धारित तारीख अर्थात् 3 अगस्त, 1973 तक उसके लिए अपना कार्य पूरा कर पाना सम्भव नहीं है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र, 1973 के अन्तिम दिन तक और समय बढ़ाये जाने की अनुरोध करने का निर्णय किया।

5. समिति ने सभापति, और उनकी अनुपस्थिति में ससद सदस्य श्री नवलकिशोर सिन्हा को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पन्द्रह

पन्द्रहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973 को 16.00 बजे से 17.00 तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर . . सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री रोबिन ककोटी
4. श्री पीलू मोदी
5. श्री समर मुखर्जी
6. श्री तारकेश्वर पाण्डे
7. श्री जे० रामेश्वर राव
8. श्री एम०एस० संजीवीराव
9. श्री दिग्विजय नारायणसिंह
10. श्री नवलकिशोर सिन्हा
11. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन
12. श्री वीरभद्र सिंह
13. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

14. श्रीमती मंरगतम् चन्द्रशेखर
15. श्री गणेश लाल माली
16. श्री लोकनाथ मिश्र
17. श्री कोटा पुन्नैया
18. श्री ई०एम० सांगमा
19. श्री टी०एन० सिंह
20. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के०के० सुन्दरम्—**सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवास मूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एस० सी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच०जी० परांजपे . . उप सचिव

2. समिति द्वारा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस० एम० सीकरी का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया।

3. साक्ष्य 16.45 बजे तक चला।

4. साक्ष्य का शब्दशः* रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय किए:—

(एक) समिति को दिये गये ज्ञापन और समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा। 11 तथा 12 सितम्बर, 1973.

(दो) विधेयक पर खण्डवार विचार 18 से 20 सितम्बर, 1973.

6. समिति ने यह निर्णय भी किए कि :—

(एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य दोनों सदनों के सभा-पटलों पर रखे जाये; तथा

(दो) समिति को विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से प्राप्त ज्ञापन की दो प्रतियां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संसद ग्रंथालय में रखी जाए।

7. इसके पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 11 सितम्बर, 1973 को 10.30 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थिति

श्री एस० ए० कादर — सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री एस० बी० गिरि
4. श्री एच० आर० गोखले
5. श्री जगन्नाथ राव जोशी
6. श्री जे० जी० कदम
7. श्री रोबिन ककोटी
8. श्री ए० केवीचुसा
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पाण्डे
12. श्री रसिक लाल पारिख
13. श्री झारखण्डे राय
14. श्री राज देव सिंह
15. श्री एम० एस० संजीवीराव
16. श्री एस० सी० सामन्त
17. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
18. श्री नवल किशोर सिन्हा
19. श्री सुन्दर लाल
20. श्री मंगरू उइके

राज्य सभा

21. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
22. श्री गणेश लाल माली
23. श्री लोक नाथ मिश्र
24. श्री कोटा पुन्नैया
25. श्री ई० एस० सांगमा

26. श्री टी०एन० सिंह

27. श्री त्रिलोकी सिंह

28. श्री गुणानन्द ठाकुर

29. श्री एच० एम० त्रिवेदी

30. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम —सचिव

2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति —अपर-विधायी परामर्शदाता।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे —उप-सचिव

2. समिति ने, समिति को प्रस्तुत किए ज्ञापनों में तथा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गए विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य चर्चा की।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक 12 सितम्बर, 1973 को 10.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 12 सितम्बर, 1973 को 10.30 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस० बी० गिरि
3. श्री एच० आर० गोखले
4. श्री जगन्नाथ राव जोशी
5. श्री जे० जी० कद्रम
6. श्री रोबिन ककोटी
7. श्री ए० केवीचुसा
8. श्री पीलू मोदी
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पाण्डे
12. श्री रसिक लाल पारिख
13. श्री झारखण्डे राय
14. श्री राजदेव सिंह
15. श्री एम० एस० संजीवीराव
16. श्री एस० सी० सामान्त
17. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
18. श्री नवल किशोर सिन्हा
19. श्री सुन्दर लाल
20. श्री एम० जी० उइके
21. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

राज्य सभा

22. श्रीमती मरगतम् चन्द्रशेखर
23. श्री गणेश लाल माली
24. श्री लोकनाथ मिश्र

25. श्री कोटा पुन्नैया

26. श्री ई० एम० सांगमा

27. श्री टी० एन० सिंह

28. श्री त्रिलोकी सिंह

29. श्री गुणानन्द ठाकुर

30. श्री एच० एम० त्रिवेदी

31. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम––**सचिव**

2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति––**अपरविधायी परामर्शदाता** ।

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे––**उप-सचिव**

2. समिति को प्रस्तुत किए गए विभिन्न ज्ञापनों में और साथ ही समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाये गये विभिन्न प्रश्नों पर समिति ने सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ की ।

3. समिति ने यह निश्चय किया कि सदस्य विधेयक के उपबन्धों पर संशोधनों की अपनी सूचनायें, यदि कोई हों तो, लोक सभा सचिवालय को बुधवार, 10 अक्तूबर, 1973 तक भेज सकते हैं ।

4. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि शुक्रवार, 19 अक्तूबर, 1973 और शनिवार, 20 अक्तूबर, 1973 को विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया जायेगा और 18 अक्तूबर, 1973 के लिये जो बैठक निर्धारित की गई है उसे रद्द कर दिया जाये ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 19 अक्तूबर, 1973 को 10.30 बजे से 12.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. सरदार महेन्द्र सिंह गिल
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री एच० आर० गोखले
7. श्री जगन्नाथ राव जोशी
8. श्री रोबिन ककोटी
9. श्री ए० केवीचुसा
10. श्री समर मुखर्जी
11. श्री प्रताप सिंह नेगी
12. श्री तारकेश्वर पांडे
13. श्री रसिक लाल पारिख
14. श्री राजदेव सिंह
15. श्री एम० एस० संजीवीराव
16. श्री एस० सी० सामन्त
17. श्री सी० के० जाफ़र शरीफ
18. श्री सुन्दर लाल
19. श्री मंगरू उइके

राज्य सभा

20. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
21. श्री लाल बुग्राइया
22. श्री गणेश लाल माली
23. श्री लोकनाथ मिश्र
24. श्री कोटा पुन्नैया
25. श्री ई० एम० सांगमा
26. श्री त्रिलोकी सिंह

27. श्री गुणानन्द ठाकुर

28. श्री गुरूचरण सिंह टोहड़ा

29. श्री एच० एम० त्रिवेदी

30. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम्—**सचिव**

2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**

3. श्री एच० जी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. **खण्ड** 2.—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

4. **खण्ड** 3.—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 15,

'सातवां दिन' **के स्थान पर** "चौदहवां दिन" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 2 और 3,

क्रमशः पंक्ति 32 से 38 तक तथा 1 से 10 तक का **लोप किया जाये** ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड** 4.—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 3,

पंक्ति 30 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम दस निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम दस निर्वाचकों द्वारा समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर किये जायेंगे ;"

(दो) पृष्ठ 4,

पंक्ति 12 से 25 तक का **लोप किया जाय** ।

(तीन) पृष्ठ 4,

पंक्ति 32–34 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"(5) कोई निर्वाचक चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र से भिन्न नामनिर्देशन पत्र पर उस का हस्ताक्षर निष्प्रभाव होगा ।"

(चार) पृष्ठ 6,

पंक्ति 20 से 22 तक का **लोप किया जाये** ।

(पांच) पृष्ठ 6,

(एक) पंक्ति 23 "(च)" के स्थान पर "(ङ)" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

(दो) पंक्ति 25 "(ख) से (च)" **के स्थान पर** "(ख) से (ङ)" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।
खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

6. **खण्ड** 5.---खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

7. **खण्ड** 6.---निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :---

पृष्ठ 7 और 8,

क्रमश: पंक्ति 30 से 37 तक तथा 1 से 5 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

"(2) निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचनअर्जी, ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, धारा 18 की उप-धारा (1) और धारा 19 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, या

(एक) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, अर्जीदारों के रूप में संयुक्त बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा;

(दो) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, अर्जीदारों के रूप में संयुक्त दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 20 अक्तूबर, 1973 को 11.30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

उन्नीस

उन्नीसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 20 अक्तूबर, 1973 को 11.30 बजे से 12.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर —— **सभापति**

सदस्य

लोक–सभा

2. श्री पी० गंगादेव
3. श्री पी० के० घोष
4. श्री एस० बी० गिरी
5. श्री एच० आर० गोखले
6. श्री जगन्नाथ राव जोशी
7. श्री रोबिन ककोटी
8. श्री ए० केवी चुसा
9. श्री समर मुखर्जी
10. श्री प्रताप सिंह नेगी
11. श्री तारकेश्वर पाण्डे
12. श्री रसिक लाल पारिख
13. श्री झारखण्डे राय
14. श्री राजदेव सिंह
15. श्री एम० एस० संजीवीराव
16. श्री एस० सी० सामन्त
17. श्री सी० के० जाफर शरीफ
18. श्री सुन्दर लाल
19. श्री मंगरू उइके
20. श्री बीरभद्र सिंह

राज्य सभा

21. श्रीमति मरगतम् चन्द्रशेखर
22. श्री कृष्ण बहादुर छेत्री
23. श्री के० ए० कृष्णा स्वामी
24. श्री लालबुआइया
25. श्रीगणेशलाल माली
26. श्री लोकनाथ मिश्र
27. श्री कोटा पुन्नैया

28. श्री ई० एम० सांगमा

29. श्री त्रिलोकी सिंह

30. श्री गुणानन्द ठाकुर

31. श्री एच० एम० त्रिवेदी

32. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री ए० के० श्री निवासमूर्ति—**अपर विधायी परामर्शदाता**

2. श्री एच० सी० वरमानी—**अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप-सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. **खण्ड** 7 — निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ:—

पृष्ठ 8, पंक्ति 6–24 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :

"धारा 18 का संशोधन

'7. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेंगी, अर्थात्:—

"(1) यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि—

(क) निर्वाचन में रिश्वत या असम्यक असर का अपराध निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, अथवा

(ख) निर्वाचन परिणाम

(i) किसी मत के अनुचित रूप से लेने या अनुचित रूप से इन्कार करने के कारण, या

(ii) संविधान के या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन रनाए गए, किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के उपबन्धों के किसी अननुपालन द्वारा, या

(iii) इस तथ्य के कारण कि (सफल अभ्यर्थी से भिन्न) किसी ऐसे अभ्यर्थी का, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिगृहीत किया गया है,

तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है, या

(ग) किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिक्षेपित किया गया है या किसी सफल अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत तौर पर प्रतिगृहीत किया गया है ;

तो उच्चतम न्यायालय निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की बाबत यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

4. **खण्ड** 8 **तथा** 9— ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

5. **खण्ड** 1— निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1972" **के स्थान पर** "1973" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

6. **अधिनियमन सूत्र** — निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"तेईसवें" **के स्थान पर** "चौबीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये** :

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

7. **पूरा नाम** — विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

8. समिति ने विधेयक में विद्यमान प्रत्यक्ष गलतियों को ठीक करने और पारिणामिक या प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन यदि कोई हो, करने के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया :

9. तत्पश्चात् सभापति ने विमति टिप्पणों के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर दिलाया।

10. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए शुक्रवार, 9 नवम्बर, 1973 को 16.30 बजे से बैठक करने का निश्चय किया।

11. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

बीस

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 9 नवम्बर, 1973 को 16.00 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एस० ए० कादर – **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महेन्द्र सिंह गिल
3. श्री जे० जी० कदम
4. श्री समर मुखर्जी
5. श्री प्रताप सिंह नेगी
6. श्री तारकेश्वर पाण्डे
7. श्री रसिक लाल पारिख
8. श्री राज देव सिंह
9. श्री एम० एस० संजीवी राव
10. श्री एस० सी० सामंत
11. श्री नवल किशोर सिन्हा
12. श्री मंगरू उइके
13. श्री नीतिराज सिंह चौधरी

राज्य सभा

14. श्री के० ए० कृष्णस्वामी
15. श्री लालबुआइया
16. श्री गणेश लाल माली
17. श्री लोक नाथ मिश्र
18. श्री कोटा पुन्नैया
19. श्री टी० एन० सिंह
20. श्री त्रिलोकी सिंह
21. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० सुन्दरम — **सचिव**
2. श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति — **अपर विधायी परामर्शदाता**
3. श्री एच० सी० वरमानी — **अवर सचिव**

सचिवालय

श्री हरिगोल परांजपे — **उप सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4 सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण यदि कोई हो तो लोक सभा सचिवालय को भेज दिया जाये जो कि उसे शनिवार, 17 नवम्बर, 1973 तक प्राप्त हो जाये।

5. समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री रसिकलाल पारिख को सोमवार, 19 नवम्बर, 1973 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और सभापटल पर साक्ष्य रखने के लिए प्राधिकृत किया।

6. समिति ने श्री त्रिलोकी सिंह और उनकी अनुपस्थिति में श्री गणेशीलाल को, 19 नवम्बर, 1973 को प्रतिवेदन और साक्ष्य राज्य सभा के पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

7. समिति ने विचार विमर्श के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) की सराहना की।

8. समिति ने सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।

9. समिति ने समिति की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर समिति के विचार विमर्श के दौरान मार्गनिर्देशन करने के लिए सभापति (श्री एस० ए० कादर) का धन्यवाद किया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

MGIPND—LS III—2260(B) LS—17-1-74—350.